

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
 रसालबाई बनाम नवलसिंह कौश
 मु. सं. 11/17

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

17

प्रार्थीगण की छोर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली प्राप्त की गयी। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को विद्धि करना चाहते हैं।

नीमि...
 कुत्रे 2/20

चूंकि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को विद्धि करना चाहते हैं, इसलिये प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई अंगीकार नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रख्याड निवेधाना रवारिज क्रिया जाता है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्त प्रख्याड निवेधाना दि. 17.2.17 निरस्त की जाती है। पत्रावली क्रिसल भुमार हो व शामिल भूल कद रहे।

अदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, महवा